

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 31/2019 FSSA

- सरकार जरिये श्री जयसिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा, जिला दौसा ।

— आवेदक—

बनाम

- श्री विपिन खण्डेलवाल पुत्र श्री कैलाश चन्द खण्डेलवाल निवासी एच-37, ग्रीन पार्क, आगरा रोड, जयपुर, मैसर्स खण्डेलवाल गृह उद्योग ट्रक यूनियन के पास, जयपुर रोड दौसा ।

— अभियुक्त—

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : श्री जयसिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित ।

: अप्रार्थी अभियुक्त सं. 1 स्वयं उपस्थित ।

—: आदेश :—

दिनांक:— 06.11.2019

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कार्यालय में कार्य सम्पादन कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना (नोटिफिकेशन) क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.2011 के अनुसार आवेदक को खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है तथा श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश क्रमांक एफएसएसए/एफएसओ/637 दिनांक 13.8.2014 एवं संशोधित आदेश क्रमांक 779 दिनांक 18.9.2014 के द्वारा आवेदक को कार्य क्षेत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र आवंटित किये गये हैं और दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के कार्य क्षेत्र में आते हैं।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 29.03.2019 को दोपहर बाद 05:10 बजे मैसर्स:— खण्डेलवाल गृह उद्योग ट्रक यूनियन के पास, जयपुर रोड, दौसा स्थित का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय ईकाई पर विक्रेता मालिक श्री विपिन खण्डेलवाल पुत्र श्री कैलाश चन्द खण्डेलवाल, निवासी एच-37, ग्रीन पार्क, आगरा रोड, जयपुर विक्रेता मालिक उपस्थित मिला ने स्वयं को उक्त फर्म का विक्रेता मालिक होना बताया को अपना परिचय देकर एवं परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिये कहा तो उसने खाद्य पदार्थ अनुज्ञा पत्र नहीं होना जाहिर किया। निरीक्षण के समय विक्रेता की निर्माण ईकाई पर खाद्य पदार्थ सेव भुजिया (रिफाइंड पामोलिन तेल से निर्मित) करीब एक ढेर में 100 किग्रा आम जनता को बेचने हेतु रखी हुई थी, में मिलावट का शक होने पर नमूने की जांच हेतु 2 किग्रा सेव भुजिया (रिफाइंड पामोलिन तेल से निर्मित) खरीदी। जिसकी कीमत 170 रुपये नकद देकर बिल प्राप्त किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूने के लिये खरीदशुदा 2 किग्रा सेव भुजिया (रिफाइंड पामोलिन तेल से निर्मित) को चार प्लास्टिक के जार में बराबर-बराबर डालकर फार्मलीन की 40-40 बूंदें डालकर एयरटाइट ढक्कन बन्द किया। लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व एफ.बी.ओ. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को जार पर चिपकाकर जार को अलग-अलग एक खाकी कागज में लपेट कर जार पर डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर ए.जी.- 2155 गोंद से चिपकाकर जार को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर जार को चार-चार जगह से चपड़ी से सील मोहर कर जार पर



जिला कलेक्टर
दौसा

एफबीओ (विक्रेता) व गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारों सील बन्द जार को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहन को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहन के हस्ताक्षर करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतिया तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेसन) लगाकर फार्म नं० 6 की एक प्रति व नमूने का एक सील बंद जार एक आउटर कवर में चपड़ी से सील मोहर कर तथा फार्म नं० 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने का एक सील बंद जार व फार्म नं० 6 का सील बंद लिफाफा श्री गोकुल चन्द च.श्र.क. मुख्यालय द्वारा दिनांक 01.04.2019 को खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक, राज० जयपुर के यहां जमा करवाये। नमूने के दो सील बन्द जार व फार्म नं० 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 01.04.2019 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा नमूने का चतुर्थ सीलबंद जार व फार्म नं० 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 02.04.2019 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

उक्त खाद्य पदार्थ सेव भुजिया (रिफाइंड पामोलिन तेल से निर्मित) के नमूने की खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./1034/एक्ट/2019/682 दिनांक 24.04.2019 डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा के जरिये आवेदक को प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ सेव भुजिया (रिफाइंड पामोलिन तेल से निर्मित) का नमूना अनसेफ खाद्य पदार्थ होना पाया गया। वाद अपील निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला पूणे की जांच रिपोर्ट संख्या सर्टिफिकेट नं. RFL/DO/322/19/590/2019 दिनांक 05.07.2019 के अनुसार सबस्टैण्डर्ड व खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय प्रतिषेध एवं निर्बंधन) विनियम 2011, का उल्लंघन पाया गया है।

न्याय निर्णय आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी अभियुक्त की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ सेव भुजिया (रिफाइंड पामोलिन तेल से निर्मित) के नमूने की खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल. एस./1034/एक्ट/2019/682 दिनांक 24.04.2019 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ अनसेफ पाया गया है एवं वाद अपील निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला पूणे की जांच रिपोर्ट संख्या सर्टिफिकेट नं. RFL/DO/322/19/590/2019 दिनांक 05.07.2019 के अनुसार सबस्टैण्डर्ड व खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय प्रतिषेध एवं निर्बंधन) विनियम 2011, का उल्लंघन पाया गया है। अतः अप्रार्थी अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने से दण्डित करने का श्रम करें।

अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बहस के दौरान निवेदन किया कि प्रार्थी के यहां से पूर्व में लिये गये सभी नमूने मानक स्तर के अनुसार पाये गये है। इस प्रकरण में नमकीन में काम में लिये गये बेसन को मैने जयपुर से खरीदकर काम में लिया है। जिसकी वजह से अमानक स्तर (सबस्टैण्डर्ड) का पाया गया है। अब मेरे द्वारा नमकीन बनाने में काम में लिया जाने वाला बेसन बदल लिया गया है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि भूलवश हुई गलती के लिये कम से कम जुर्माना लगाने का श्रम करें



प्रति० जिला कलेक्टर
दौसा

हमने खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी अभियुक्त की बहस पर मनन किया एवं अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस. / 1034 / एक्ट / 2019 / 682 दिनांक 24.04.2019 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ अनसेफ पाया गया है एवं वाद अपील निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला पूणे की जांच रिपोर्ट संख्या सर्टिफिकेट नं. RFL/DO/322/19/590/2019 दिनांक 05.07.2019 के अनुसार सबस्टैण्डर्ड व खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय प्रतिषेध एवं निर्बंधन) विनियम 2011, का उल्लंघन पाया गया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 व 58 में वर्णित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा अनसेफ व सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ सेव भुजिया (रिफाईंड पामोलिन तेल से निर्मित) का विक्रय किये जाने से तथा खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय प्रतिषेध एवं निर्बंधन) विनियम 2011 एवं खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) (II) व 2.2 का उल्लंघन होने से अपराध कारित होने के फलस्वरूप अप्रार्थी अभियुक्त श्री विपिन खण्डेलवाल पुत्र श्री कैलाश चन्द खण्डेलवाल निवासी एच-37, ग्रीन पार्क, आगरा रोड, जयपुर, मैसर्स खण्डेलवाल गृह उद्योग ट्रक यूनियन के पास, जयपुर रोड दौसा पर 5,000/- (अक्षरे पांच हजार रूपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्त उक्त राशि निर्णय दिनांक 06.11.2019 के एक माह के अन्दर-अन्दर जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 06.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(लोकेश कुमार मीना)

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, दौसा

दिनांक:- 6 .11.2019

कमांक / 2428-2430

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज० जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री विपिन खण्डेलवाल पुत्र श्री कैलाश चन्द खण्डेलवाल निवासी एच-37, ग्रीन पार्क, आगरा रोड, जयपुर, मैसर्स खण्डेलवाल गृह उद्योग ट्रक यूनियन के पास, जयपुर रोड दौसा



(लोकेश कुमार मीना)

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, दौसा

दौसा